

इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली के आधुनिकीकरण
और उन्नयन के संबंध में

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

और

दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड

के बीच

राज्य सरकार सहायता समझौता या "एसजीएसए"

यह राज्य सरकार सहायता समझौता अप्रैल 2006 के 26वें दिन दिल्ली में निष्पादित किया गया है

द्वारा और इसके बीच:

(1) **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्य सचिव** जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सामूहिक रूप से दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली पुलिस, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली छावनी बोर्ड, शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार, दिल्ली नगर निगम और बीएसईएस की ओर से और उनके लिए, 13 अप्रैल, 2006 को आयोजित राष्ट्रीय सुविधा समिति की बैठक में राष्ट्रीय सुविधा समिति द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्य सचिव को सौंपी गई शक्तियों के अनुसार (उक्त बैठक के कार्यवृत्त का प्रासंगिक अंश इसके साथ इस समझौते की अनुसूची 2 के रूप में संलग्न है) जिन्हें इसके बाद "जीओएनसीटी" (GONCT) के रूप में परिभाषित और संदर्भित किया गया है (जिस अभिव्यक्ति में इसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती शामिल माने जाएंगे), एक पक्षकार; और

दिल्ली

C 091419

(2) **दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड**, भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत भारत में निगमित एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय चौथी मंजिल, बिड़ला टावर, 25 बाराखंभा रोड, नई दिल्ली 110 001 पर स्थित है (जिसे इसके बाद "**कंपनी**" के रूप में संदर्भित किया गया है, जिस अभिव्यक्ति में इसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती शामिल माने जाएंगे), दूसरा पक्षकार।

जीओएनसीटी (GONCT) और कंपनी को इसके बाद सामूहिक रूप से "**पक्षकार**" और व्यक्तिगत रूप से "**पक्षकार**" के रूप में संदर्भित किया गया है।

जबकि:

(क) भारत सरकार ने, भारत में हवाईअड्डा अवसंरचना के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने की अपनी नीति के भाग के रूप में, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, दिल्ली के आधुनिकीकरण, उन्नयन और विकास के लिए अपनी सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया है।

(ख) इस उद्देश्य के लिए, कंपनी को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (जिसे इसके बाद "एएआई" कहा गया है) और कुछ निजी प्रतिभागियों के एक संघ के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किया गया है।

(ग) एएआई और कंपनी ने एक संचालन, प्रबंधन और विकास समझौते (जैसा कि इसके बाद परिभाषित किया गया है) में प्रवेश किया है, जिसके द्वारा वे उन नियमों और शर्तों

पर सहमत हुए हैं जिनके तहत परियोजना (जैसा कि इसके बाद परिभाषित किया गया है) को लागू किया जाएगा।

(घ) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार (जीओएनसीटी) ने, कंपनी द्वारा हवाईअड्डे (जैसा कि इसके बाद परिभाषित किया गया है) के विकास, डिजाइन, आधुनिकीकरण, उन्नयन, वित्तपोषण, निर्माण, समापन, रखरखाव, संचालन और प्रबंधन को शुरू करने के लिए ओएमडीए में प्रवेश करने पर सहमति व्यक्त करने के एवज में, इस समझौते में प्रदान की गई सीमा तक और तरीके से परियोजना को सहायता प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है, ताकि इसके सुचारू संचालन को सुगम बनाया जा सके।

अब, इसलिए, पूर्वगामी और इस समझौते में निर्धारित संबंधित अनुबंधों और समझौतों तथा अन्य प्रतिफलों के एवज में, जिनकी प्राप्ति, पर्याप्तता और उपयुक्तता को इसके द्वारा स्वीकार किया जाता है, पक्षकार निम्नानुसार सहमत होते हैं:

अनुच्छेद 1

परिभाषाएं और व्याख्या

1.1 परिभाषाएं

इस समझौते में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित शब्दों के निम्नलिखित अर्थ होंगे:

"वैमानिक परिसंपत्तियां" का अर्थ उन परिसंपत्तियों से होगा, जो वैमानिक सेवाओं के निष्पादन के लिए आवश्यक या अपेक्षित हैं और ऐसी अन्य परिसंपत्तियां जिन्हें जेवीसी परियोजना समझौतों के प्रावधानों के अनुसार (या अन्यथा भारत सरकार/एएआई के लिखित निर्देशों पर) आरक्षित गतिविधियों के प्रावधान के लिए या उसके संबंध में प्राप्त करता है, और इसमें अवधि के दौरान अधिग्रहित या लीज पर ली गई सभी भूमि, संपत्ति और उन पर बनी संरचनाएं विशेष रूप से शामिल होंगी।

"वैमानिक सेवाएं" का वही अर्थ होगा जो इसके अनुसूची 1 में उल्लिखित है।

"समझौता" या **"यह समझौता"** का अर्थ इस राज्य सरकार सहायता समझौते से होगा।

"हवाईअड्डा" का अर्थ हवाईअड्डा स्थल पर स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा होगा।

"हवाईअड्डा स्थल" का वही अर्थ होगा जो इसे ओएमडीए के तहत उल्लिखित किया गया है।

"लागू कानून" का अर्थ भारत में और इस समझौते के अस्तित्व के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लागू और प्रभावी कोई भी और सभी लागू कानून हैं, जिनमें इसके तहत बनाए गए कोई भी नियम, निर्देश, विनियम और/या अधिसूचनाएं और किसी भी अदालत के निर्णय, डिक्री, व्यादेश, रिट और आदेश शामिल हैं;

"अनुमतियां" का अर्थ किसी भी प्रकार की लिखित सहमति, लाइसेंस, अनुमोदन, परमिट, निर्णय, छूट, अनापत्ति प्रमाण पत्र या अन्य प्राधिकरण या अनुमति से है जो परियोजना के संबंध में समय-समय पर जीओएनसीटी से प्राप्त की जानी आवश्यक है और/या जीओएनसीटी द्वारा प्रदान की जानी आवश्यक है;

"कंपनी" का वही अर्थ होगा जो इस समझौते की प्रस्तावना में इस शब्द को दिया गया है;

"पूर्ववर्ती शर्त" का वही अर्थ होगा जो इसके अंतर्गत अनुच्छेद 2.1 में इस शब्द को दिया गया है;

"प्रभावी तिथि" का वही अर्थ होगा जो इसके अंतर्गत अनुच्छेद 2.1 में इस शब्द को दिया गया है;

"एंटीटी" का अर्थ कोई भी व्यक्ति, निगमित निकाय, ट्रस्ट, साझेदारी फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ है, चाहे वह पंजीकृत हो या नहीं;

"भारत सरकार" का अर्थ भारत सरकार और भारत सरकार के नियंत्रण और निर्देशन के तहत कोई भी एजेंसी, प्राधिकरण (किसी भी नियामक प्राधिकरण सहित), विभाग, निरीक्षक कार्यालय, मंत्रालय या वैधानिक व्यक्ति (चाहे स्वायत्त हो या नहीं) है;

"जीओएनसीटी" का अर्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और जीओएनसीटी के नियंत्रण और निर्देशन के तहत कोई भी एजेंसी, प्राधिकरण (किसी भी नियामक प्राधिकरण सहित), विभाग, निरीक्षक कार्यालय, मंत्रालय या वैधानिक व्यक्ति (चाहे स्वायत्त हो या नहीं) है और इसका आगे अर्थ और इसमें वे एजेंसियां और प्राधिकरण शामिल होंगे जिनकी ओर से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्य सचिव ने दिनांक 13 अप्रैल, 2006 को आयोजित राष्ट्रीय सुविधा समिति की बैठक में राष्ट्रीय सुविधा समिति द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्य सचिव को सौंपी गई शक्तियों के अनुसार इस समझौते में प्रवेश किया है, उक्त बैठक के कार्यवृत्त के प्रासंगिक अंश की एक प्रति इसके साथ इस समझौते की अनुसूची 2 के रूप में संलग्न है;

"प्रचालन, प्रबंधन और विकास समझौता" या **"ओएमडीए"** का अर्थ दिनांक 4 अप्रैल, 2006 को या उसके आसपास एएआई और कंपनी के बीच किए गए प्रचालन, प्रबंधन और विकास समझौते से है;

"परियोजना" का अर्थ ओएमडीए के तहत यथाप्रबंधित हवाईअड्डे का डिजाइन, विकास, निर्माण, आधुनिकीकरण, उन्नयन, वित्तपोषण, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव है;

"परियोजना समझौते" का अर्थ और इसमें निम्नलिखित समझौतों में से एक या सभी शामिल होंगे जिनमें से (iii) और (viii) को ओएमडीए में आगे परिभाषित किया गया है

- (i) यह समझौता;
- (ii) ओएमडीए;
- (iii) शेयरधारक समझौता;
- (iv) सीएनएस-एटीएम समझौता;
- (v) हवाईअड्डा प्रचालक समझौता;
- (vi) भारत सरकार का राज्य सहायता समझौता;
- (vii) एस्क्रो समझौता; और
- (viii) प्रतिस्थापन समझौता।

"अवधि" का वही अर्थ होगा जो इसके अंतर्गत अनुच्छेद 4.1 में इस शब्द को दिया गया है; "तृतीय पक्ष" का अर्थ ऐसी किसी भी सत्ता से होगा जो इस समझौते का पक्षकार नहीं है।

"जनसुविधाएं" सामूहिक रूप से हवाई अड्डे पर पानी, बिजली और सीवेज निपटान तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के बुनियादी ढांचे को संदर्भित करती हैं और "जनसुविधा" इनमें से किसी एक को संदर्भित करती है।

1.2 व्याख्या

इस समझौते में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

- (i) किसी भी लिंग के संदर्भ में दूसरे लिंग का संदर्भ भी शामिल माना जाएगा।
- (ii) किसी भी अनुच्छेद, खंड, परिशिष्ट, अनुसूची, संलग्नक या अनुबंध का संदर्भ इस समझौते के ही अनुच्छेद, खंड, परिशिष्ट, अनुसूची, संलग्नक या अनुबंध का संदर्भ होगा।
- (iii) परिशिष्ट, अनुसूचियां, संलग्नक और अनुबंध इस समझौते का अभिन्न अंग हैं। अनुच्छेदों के किसी भी प्रावधान और परिशिष्ट, अनुसूचियों, संलग्नकों या अनुबंधों के किसी भी प्रावधान के बीच विरोधाभास की स्थिति में, अनुच्छेदों का प्रावधान ही मान्य होगा।
- (iv) समय के किसी भी संदर्भ का अर्थ भारत के समय से लगाया जाएगा। कैलेंडर के किसी भी संदर्भ का अर्थ ग्रेगोरियन कैलेंडर से लगाया जाएगा।
- (v) इस समझौते में अनुच्छेदों, खंडों, परिशिष्टों, अनुसूचियों, संलग्नकों और अनुबंधों के शीर्षक केवल संदर्भ की सुविधा के लिए शामिल किए गए हैं और ये इसके अर्थ या व्याख्या को प्रभावित नहीं करेंगे।

(vi) "शामिल है" या "जिसमें शामिल हैं" शब्दों के बाद "बिना किसी सीमा के" या "लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं" माना जाएगा, चाहे उनके बाद ऐसे वाक्यांश आए हों या नहीं।

(vii) संदर्भित समय की किसी भी अवधि को ऐसी अवधि की अंतिम तिथि के अंत में समाप्त माना जाएगा।

(viii) व्याख्या का नियम, यदि कोई हो, कि किसी अनुबंध का अर्थ उसके मसौदा और तैयारी के लिए जिम्मेदार पक्षकारों के विरुद्ध लगाया जाना चाहिए, लागू नहीं होगा;

(ix) समझौतों, विलेखों, दस्तावेजों या अन्य लिखतों के सभी संदर्भों में (सभी प्रासंगिक अनुमोदनों के अधीन) समय-समय पर संशोधित, पूरक, परिवर्तित, प्रतिस्थापित, नवीनीकृत या समनुदेशित उस समझौते, दस्तावेज या लिखत का संदर्भ शामिल है;

(x) कानून या कानून का बल रखने वाले किसी नियम के संदर्भ में समय-समय पर संशोधित, परिवर्तित, पूरक, विस्तारित या पुनर्मूल्यांकित उस कानून या नियम का संदर्भ शामिल है।

अनुच्छेद 2

पूर्ववर्ती शर्त

2.1 इस समझौते के प्रावधान (अनुच्छेद 1, 2, 3.6.1, 3.6.3, 3.6.4, 6 और 7 में निहित प्रावधानों को छोड़कर, जो इस समझौते की तिथि से लागू होंगे) उस तिथि ("प्रभावी तिथि") से लागू होंगे जिस दिन ओएमडीए (OMDA) की सभी पूर्ववर्ती शर्तें या तो पूरी तरह से पूरी हो जाती हैं या ओएमडीए की शर्तों के अनुसार छूट दी जाती हैं ("पूर्ववर्ती शर्त")।

जीओएनसीटी इस समझौते के प्रयोजनों के लिए, पूर्ववर्ती शर्त की पूर्ति से पहले किसी भी समय, इस समझौते की किसी भी और/या सभी पूर्ववर्ती शर्तों की पूर्ति से छूट देने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में, पक्षकारों के बीच यह स्पष्ट रूप से समझा गया है कि जीओएनसीटी द्वारा इस समझौते की किसी भी पूर्ववर्ती शर्त की पूर्ति से छूट देना, किसी भी अन्य परियोजना समझौते के प्रयोजनों के लिए, ऐसे परियोजना समझौते की किसी भी पूर्ववर्ती शर्त की छूट नहीं माना जाएगा।

2.2 पूर्ववर्ती शर्तों का पालन न होना

यदि ओएमडीए को उसकी पूर्ववर्ती शर्तों के पालन न होने के कारण समाप्त कर दिया जाता है, तो यह समझौता तुरंत समाप्त हो जाएगा।

अनुच्छेद 3

जीओएनसीटी सहायता

3.1 हवाईअड्डा स्थल पर भूमि अतिक्रमण और बाधाएं

3.1.1 पक्षकार इसके द्वारा स्वीकार करते हैं कि वर्तमान में कुछ अवैध कब्ज़ाधारी और अन्य व्यक्ति हैं जिन्होंने हवाई अड्डा स्थल पर अतिक्रमण किया है, और अब वे हवाई अड्डा स्थल की भूमि पर काबिज़ हैं। हवाई अड्डा स्थल का वह हिस्सा जिस पर अतिक्रमण किया गया है, एएआई और कंपनी द्वारा दिनांक 25 अप्रैल, 2006 को निष्पादित पट्टा विलेख (लीज डीड) में संलग्न है।

3.1.2 यदि, अवधि के दौरान किसी भी समय, कंपनी को हवाईअड्डा स्थल की किसी भी ऐसी भूमि का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, जो अतिक्रमण के अधीन है और वैमानिक सेवाओं के प्रावधान में बाधा डाल रही है और/या हवाईअड्डे पर किसी भी वैमानिक संपत्ति का निर्माण, विकास और रखरखाव करने में बाधा उत्पन्न कर रही है, तो वह जीओएनसीटी और एएआई को इसकी सूचना देगी।

3.1.3 कंपनी से पूर्वोक्त सूचना प्राप्त होने पर, जीओएनसीटी कंपनी द्वारा हवाई अड्डे पर वैमानिक सेवाएं प्रदान करने के लिए, या उसके संबंध में, और/या हवाई अड्डे पर किसी भी वैमानिक संपत्ति का निर्माण, विकास और रखरखाव करने के लिए आवश्यक भूमि को उस पर मौजूद किसी भी और सभी अतिक्रमणों से मुक्त कराने में कंपनी और एएआई को सहायता प्रदान करने का हर संभव प्रयास करेगी, जिसमें संबंधित अवैध कब्ज़ाधारियों के साथ बातचीत करना और उन अवैध कब्ज़ाधारियों का पुनर्वास शामिल है। हालांकि शर्त यह है कि ऐसे पुनर्वास का खर्च पूरी तरह से कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा।

3.1.4 जीओएनसीटी इसके द्वारा पुष्टि करती है कि वह ऐसी भूमि की पहचान करने और उसे आरक्षित करने के लिए (लागू झुग्गी पुनर्वास योजना के अनुसार) हर संभव प्रयास करेगी जहां हवाईअड्डा स्थल पर अतिक्रमण करने वाले अवैध कब्ज़ाधारियों और अन्य व्यक्तियों को पुनर्वासित किया जा सके। पुनर्वास का खर्च पूरी तरह से कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा।

3.1.5 कोई भी पुनर्वास लागू कानून के अनुसार होगा।

3.1.6 जीओएनसीटी आगे यह वचन देती है कि वह सुरक्षित और कुशल हवाई यातायात आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए लागू कानून के तहत सीमा तक हवाईअड्डे की सीमा के बाहर किसी भी बाधा को हटाने के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयासों का उपयोग करेगी। इस संबंध में, जीओएनसीटी आगे यह वचन देती है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेगी कि हवाईअड्डे के आसपास कोई नया विकास न हो जिससे ऐसी बाधा उत्पन्न हो जो हवाईअड्डे से आने-जाने वाले सुरक्षित और कुशल हवाई यातायात आवाजाही को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करे। जहां किसी ऐसे विकास का प्रस्ताव है जो ऐसी बाधा उत्पन्न करेगा जिससे हवाईअड्डे से आने-जाने वाले सुरक्षित और कुशल हवाई यातायात आवाजाही पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, तो जीओएनसीटी तुरंत एएआई और जेवीसी दोनों को ऐसे विकास के बारे में सूचित करेगी और ऐसे किसी भी विकास को तब तक मंजूरी

नहीं देगी जब तक कि जेवीसी की सहमति से एएआई द्वारा एक अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी न कर दिया जाए।

3.2 हवाईअड्डा विकास के लिए अतिरिक्त भूमि

जीओएनसीटी इसके द्वारा पुष्टि करती है कि वह कंपनी को ऐसी अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराने का हरसंभव प्रयास करेगी, जो कंपनी द्वारा आवश्यक हो सकती है और कंपनी द्वारा इस उद्देश्य के लिए चिह्नित की गई है, वैमानिक सेवाएं प्रदान करने के लिए सेवाएं प्रदान करने और/या हवाईअड्डे पर किसी भी वैमानिक संपत्ति का निर्माण, विकास और रखरखाव करने के लिए। कंपनी इसके द्वारा जीओएनसीटी द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी भी ऐसी भूमि को बाजार मूल्य पर या ऐसे अन्य मूल्य पर खरीदने का वचन देती है जो आपस में सहमत हो। ऐसी कोई भी अधिग्रहित भूमि जिसका उपयोग वैमानिक सेवाओं के प्रावधान के लिए और/या उस पर किसी भी वैमानिक संपत्ति के निर्माण, विकास और रखरखाव के लिए किया जाता है, वैमानिक संपत्ति का हिस्सा बनेगी।

3.3 हवाईअड्डे तक सर्फेस एक्सेस

पक्षकार इसके द्वारा स्वीकार करते हैं कि वर्तमान में हवाई अड्डे तक पहुँचने या बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता राष्ट्रीय राजमार्ग 8 ("**मौजूदा प्रवेश और निकास**") के माध्यम से है। पक्षकार आगे स्वीकार करते हैं कि मौजूदा प्रवेश और निकास हवाई अड्डे पर बढ़ते यात्रियों और अन्य यातायात की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हो सकता है। पूर्वगामी के आलोक में, जीओएनसीटी इसके द्वारा पुष्टि करती है कि वह हवाई अड्डे पर बढ़ते यात्रियों और अन्य यातायात के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए मौजूदा प्रवेश और निकास को उन्नत, आधुनिक और बनाए रखने का हर संभव प्रयास करेगी और हवाई अड्डे के अंदर और आसपास के क्षेत्र के लिए समग्र नगर नियोजन के अनुसार तथा कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए जिसे जीओएनसीटी अपने विवेक से उचित समझे, हवाई अड्डे तक पहुँचने और वहां से बाहर निकलने के सार्वजनिक परिवहन के अतिरिक्त साधनों (जैसे रेलवे/मेट्रो संपर्क) को विकसित करने का उचित प्रयास करेगी। इस दिशा में, जीओएनसीटी और कंपनी धरातलीय पहुंच विकास के संभावित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए मास्टर प्लान के विकास के दौरान एक-दूसरे से परामर्श करेंगे।

3.4 जनसुविधाएं

पक्षकार आगे स्वीकार करते हैं कि आगे चलकर, जैसा कि ओएमडीए में परिकल्पित तरीके से हवाई अड्डे का विकास और आधुनिकीकरण होता है और समय बीतने के साथ हवाई अड्डे पर यात्रियों तथा अन्य यातायात में वृद्धि होती है, जनसुविधाओं की क्षमता का विस्तार करने की आवश्यकता हो सकती है। पूर्वगामी के आलोक में, जीओएनसीटी इसके द्वारा पुष्टि करती है कि वह हवाई अड्डे के विकास और आधुनिकीकरण को सक्षम करने तथा बढ़ते यात्रियों एवं अन्य यातायात को संभालने के लिए भुगतान के आधार पर हवाई अड्डे के लिए पर्याप्त मात्रा में जनसुविधाएं (उस सीमा तक जहाँ तक ये सेवाएं आमतौर पर जीओएनसीटी या इसके विभागों/एजेंसियों/इकाइयों द्वारा प्रदान की जाती हैं जो मुख्य रूप से जीओएनसीटी के स्वामित्व या नियंत्रण में हैं) प्रदान करने का हर संभव प्रयास करेगी। जीओएनसीटी आगे पुष्टि करती है कि वह जनसुविधाओं के संबंध में मौजूदा सुविधाओं का रखरखाव और विकास

करने का हर संभव प्रयास करेगी (उस सीमा तक जहाँ तक ये सेवाएं आमतौर पर जीओएनसीटी या इसके विभागों/एजेंसियों/इकाइयों द्वारा मुख्य रूप से जीओएनसीटी के स्वामित्व या नियंत्रण में बनाई रखी जाती हैं)।

3.5 हवाईअड्डे पर सुरक्षा और संरक्षा आवश्यकताएं

3.5.1 पक्षकार इसके द्वारा स्वीकार करते हैं कि पक्षियों और जानवरों की उपस्थिति से बचने के लिए हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने की आवश्यकता है, जो हवाई अड्डे के सुचारू संचालन में बाधा डाल सकते हैं और विमान की सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। पूर्वगामी के आलोक में, जीओएनसीटी इसके द्वारा पुष्टि करती है कि वह

ऐसे क्षेत्र में पक्षियों और जानवरों की उपस्थिति से होने वाले हवाई अड्डे के संचालन में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप या नुकसान को रोकने के लिए हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने का हर संभव प्रयास करेगी।

3.5.2 जीओएनसीटी कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हवाई अड्डे पर सामान्य और नियमित पुलिस व्यवस्था अपने खर्च पर प्रदान करने का जिम्मा लेगी। उक्त कार्य को करने में जीओएनसीटी को सक्षम बनाने के लिए जेवीसी अपने खर्च पर हवाई अड्डे पर उचित कार्यालय स्थान उपलब्ध कराएगा।

3.5.3 इस समझौते में इसके विपरीत किसी भी बात के होते हुए भी, पक्षकार इसके द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं कि जीओएनसीटी हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने के संबंध में किसी भी तृतीय पक्ष या जेवीसी के किसी भी और सभी कार्यों, कार्यवाहियों, नुकसानों, क्षतियों, देनदारियों, दावों, लागतों और खर्चों के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगी।

3.6 अनुमतियां

3.6.1 पक्षकार इसके द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं कि ओएमडीए में विस्तार से बताए अनुसार परियोजना को शुरू करने और लागू करने के लिए लागू कानून द्वारा आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करना और हर समय उन्हें बनाए रखना कंपनी की एकमात्र जिम्मेदारी और दायित्व होगा। इस दिशा में, जीओएनसीटी, लागू कानून के पूर्ण अनुपालन और समर्थन के साथ कंपनी द्वारा आवेदन किए जाने पर (बशर्ते कि लागू कानून के तहत कंपनी ऐसी अनुमति प्राप्त करने की हकदार हो), प्रासंगिक वैधानिक अवधि (यदि कोई हो) के भीतर परियोजना के लिए या उसके संबंध में आवश्यक ऐसी अनुमतियां देने का हर संभव प्रयास करेगी, और जहां कोई वैधानिक अवधि निर्धारित नहीं है, जीओएनसीटी विधिवत पूर्ण और लागू कानूनों के पूर्ण अनुपालन में प्रासंगिक आवेदन जमा किए जाने के बाद उचित समय के भीतर परियोजना के लिए या उसके संबंध में आवश्यक ऐसी अनुमतियां प्रदान करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेगी।

3.6.2 जीओएनसीटी सक्षम स्थानीय प्राधिकरण द्वारा मास्टर प्लान के अनुमोदन को प्राप्त करने में सर्वश्रेष्ठ सहायता प्रदान करने का आगे वचन देती है।

3.6.3 अनुमतियां देने में सुविधा प्रदान करने के लिए, जीओएनसीटी सरकार के प्रधान सचिव स्तर के एक अधिकारी को मनोनीत करेगी जो जीओएनसीटी के नियंत्रण और निर्देशन के तहत संबंधित एजेंसियों, प्राधिकरणों, विभागों, निरीक्षक कार्यालयों, मंत्रालयों के साथ संपर्क स्थापित करने में कंपनी को सहायता प्रदान करेगा।

3.6.4 कंपनी इसके द्वारा यह वचन देती है कि अनुमतियां देने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, वह लगन से और समयबद्ध तरीके से, (i) संबंधित अधिकारियों के समक्ष ऐसे आवेदन तैयार करेगी और दाखिल करेगी जो लागू कानून के पूर्ण अनुपालन में हों; और (ii) संबंधित अधिकारियों के साथ पूर्वोक्त आवेदनों की निरंतर पैरवी करेगी।

अनुच्छेद 4

अवधि और समाप्ति

4.1 ऊपर दिए गए अनुच्छेद 2 के अधीन, यह समझौता पूर्ण प्रभाव और अमल में आएगा प्रभावी तिथि से और यह ओएमडीए के साथ ही समाप्त होगा। अत्यधिक सावधानी के लिए यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया जाता है कि यह समझौता ओएमडीए की समाप्ति और/या समय से पहले समाप्ति पर, चाहे कारण जो भी हो, स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएगा/तब तक पूर्ण प्रभाव में रहेगा जब तक कि हवाई अड्डा स्थायी रूप से बंद न हो जाए ("**अवधि**"). अत्यधिक सावधानी के लिए, पक्षकारों के बीच स्पष्ट रूप से सहमति बनी है कि ओएमडीए के प्रावधानों के अनुसार हवाई अड्डे के केवल अस्थायी रूप से बंद होने के परिणामस्वरूप यह समझौता समाप्त नहीं होगा।

4.2 इस समझौते के अनुसार कंपनी को दिए गए अधिकार और लाभ कंपनी के किसी भी उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिनी या किसी अन्य व्यक्ति (एएआई या एएआई के किसी भी उत्तराधिकारी सहित) के लाभ के लिए स्थानांतरित होंगे और लागू होंगे, जो किसी भी समय हवाई अड्डे का संचालन कर सकता है।

अनुच्छेद 5

अभ्यावेदन और वारंटी

5.1 कंपनी द्वारा अभ्यावेदन और वारंटी

कंपनी इसके द्वारा जीओएनसीटी से अभ्यावेदन और वारंटी करती है कि:

(क) कंपनी भारत के कानूनों के तहत निगमित शेयरों द्वारा सीमित एक निजी कंपनी है और विधिवत गठित की गई है तथा निगमन के बाद से निरंतर अस्तित्व में है;

(ख) कंपनी के पास कॉर्पोरेट शक्ति और अधिकार है और उसने इस समझौते को वैध रूप से निष्पादित करने, सौंपने तथा इसके तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करने और अपने दायित्वों का वैध रूप से पालन करने के लिए आवश्यक सभी कॉर्पोरेट कार्रवाइयां की हैं।

5.2 जीओएनसीटी द्वारा अभ्यावेदन और वारंटी

जीओएनसीटी इसके द्वारा कंपनी से अभ्यावेदन और वारंटी करती है कि:

(क) जीओएनसीटी के पास अधिकार, शक्ति और प्राधिकार है और उसने इस समझौते को निष्पादित करने, इसके तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करने और सर्वोत्तम प्रयासों के आधार पर अपने कार्यों को करने के लिए आवश्यक सभी कार्रवाइयां की हैं।

अनुच्छेद 6

समन्वय तंत्र

6.1 इस समझौते से उत्पन्न होने वाले किसी भी मुद्दे को जीओएनसीटी द्वारा गठित की जाने वाली एक समन्वय समिति के तंत्र के माध्यम से हल किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्य सचिव करेंगे, जिसमें भारत सरकार और अन्य संबंधित पक्षकारों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस समझौते के तहत मुद्दों के समाधान को सुगम बनाने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल की अध्यक्षता में एक अतिव्यापी समिति भी होगी।

6.2 यह समझौता जीओएनसीटी के खिलाफ किसी भी दायित्व के प्रवर्तन के लिए और इसके परिणामस्वरूप जेवीसी या किसी भी पक्षकार द्वारा उठाए गए नुकसान/क्षति आदि के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा।

अनुच्छेद 7

विविध

7.1 सूचना

7.1.1 इस समझौते की शर्तों के तहत आवश्यक या अनुमत या कानून द्वारा आवश्यक कोई भी सूचना (जब तक कि अन्यथा सहमति न हो) लिखित रूप में होगी और व्यक्तिगत रूप से दी जाएगी, पंजीकृत डाक या एयर मेल द्वारा उचित रूप से भेजी जाएगी, सही पते वाले लिफाफे में डाक शुल्क का पूर्ण भुगतान करके पोस्ट की जाएगी या संबंधित पक्षकारों को फैक्स (facsimile) द्वारा निम्नानुसार भेजी जाएगी:

जीओएनसीटी:

ध्यानार्थः

पता:

फैक्स नंबर:

कंपनी:

ध्यानार्थः श्री श्रीनिवास बोम्मिडाला

पता: चौथी मंजिल, बिड़ला टावर, 25 बाराखंभा रोड, नई दिल्ली 110 001

फैक्स नंबर: +91-11-23766352

या ऐसे किसी अन्य पते या फैक्स नंबर पर जैसा कि इसके तहत सूचना द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाए।

7.1.2 ऐसी कोई भी सूचना अंग्रेजी भाषा में होगी और यदि हाथ से दी गई है तो वास्तव में वितरित किए जाने के समय पर, या फैक्स द्वारा भेजे जाने के अगले कार्य दिवस पर या किसी भी अन्य स्थिति में ऊपर बताए अनुसार डाक से भेजे जाने के 7 दिनों के भीतर दी गई मानी जाएगी।

7.2 पृथक्करणीयता

7.2.1 इस घटना में कि इसमें निहित शर्तों, बंधेजों या प्रावधानों का कोई भी हिस्सा इस समझौते का यदि कोई प्रावधान किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी सीमा तक अमान्य, गैर-कानूनी या अप्रवर्तनीय पाया जाता है, तो ऐसा प्रावधान उस सीमा तक शेष शर्तों और प्रावधानों से अलग माना जाएगा, तथा शेष प्रावधान कानून द्वारा अनुमत सीमा तक पूर्णतः मान्य और प्रवर्तनीय बने रहेंगे।

7.3 सम्पूर्ण समझौता

7.3.1 यह समझौता, अपनी सभी अनुसूचियों और संलग्नकों के साथ, इसकी विषय-वस्तु के संबंध में पक्षकारों के बीच सम्पूर्ण समझौते और समझ का प्रतिनिधित्व करता है तथा यह पक्षकारों के बीच पूर्व में हुए किसी भी लिखित या मौखिक समझौते अथवा समझ का स्थान लेता है।

7.4 संशोधन

7.4.1 इस समझौते में कोई भी जोड़, संशोधन या परिवर्तन तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि वह लिखित रूप में न हो और दोनों पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित न हो।

7.5 समनुदेशन

7.5.1 इस तिथि के पश्चात लागू कानून में किसी भी परिवर्तन के बावजूद जो इस समझौते के हस्तांतरण की अनुमति देता हो, कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार की पूर्व सहमति के बिना इस समझौते को, इसके तहत उत्पन्न होने वाले किसी अधिकार या दायित्व को, अथवा इसमें निहित किसी लाभ या हित को किसी अन्य को समनुदेशित (हस्तांतरित) नहीं करेगा; और न ही इस समझौते या इसके अधिकारों पर कोई प्रभार या सुरक्षा अधिकार निर्मित होने देगा।

7.6 कोई साझेदारी नहीं

7.6.1 यह समझौता पक्षकारों के बीच किसी भी प्रकार की साझेदारी का गठन नहीं करता है और न ही इसका ऐसा अर्थ निकाला जाएगा। किसी भी पक्षकार के पास दूसरे पक्षकार को अपने एजेंट या प्रतिनिधि के रूप में बाध्य करने का कोई अधिकार नहीं होगा (जब तक कि इस समझौते के माध्यम से लिखित रूप में ऐसा स्पष्ट प्राधिकार न दिया गया हो)।

जिसके साक्ष्य में पक्षकारों ने ऊपर लिखित दिन और वर्ष को अपने विधिवत अधिकृत अधिकारियों और प्रतिनिधियों द्वारा इस समझौते को निष्पादित कराया है।

द्वारा हस्ताक्षरित

अनुसूची 1

वैमानिक सेवाएं

"वैमानिक सेवाएं" का अर्थ निम्नलिखित सुविधाओं और सेवाओं के प्रावधान से है:

1. उड़ान परिचालन सहायता और क्रू सहायता प्रणालियों का प्रावधान;
2. राष्ट्रीय सुरक्षा हित को छोड़कर, हवाईअड्डे का सुरक्षित और संरक्षित प्रचालन सुनिश्चित करना;
3. विमानों की आवाजाही और पार्किंग तथा नियंत्रण सुविधाएं;
4. हवाईअड्डे का सामान्य रखरखाव और देखभाल;
5. रखरखाव सुविधाएं और उनका नियंत्रण तथा विमानों के लिए हैंगर की सुविधा;
6. उड़ान सूचना प्रदर्शन स्क्रीन;
7. बचाव और अग्निशमन सेवाएं;
8. हवाईअड्डे पर कार्यरत कर्मचारियों का प्रबंधन और प्रशासन;
9. हवाईअड्डे पर कर्मचारियों और यात्रियों की आवाजाही तथा परिवहन के सभी साधनों के बीच उनका आदान-प्रदान;
10. यात्री बोर्डिंग और उतरने की प्रणालियों का संचालन और रखरखाव, जिसमें रिमोट बोर्डिंग करने वाले वाहन शामिल हैं; और
11. हवाईअड्डे के सुरक्षित और कुशल संचालन के लिए आवश्यक मानी जाने वाली कोई अन्य सेवा।

उपरोक्त सुविधाओं और सेवाओं की अधिक विस्तृत सूची में निम्नलिखित शामिल होंगे:

12. एयरोड्रोमम नियंत्रण सेवाएं
13. हवाईक्षेत्र
14. हवाईक्षेत्र लाइटिंग
15. एयर टैक्सी सेवाएं
16. एयरसाइड और लैंडसाइड पहुंच मार्ग और प्रांगण, जिसमें लेखन, यातायात संकेत, सांकेतिक बोर्ड (साइनेज) और निगरानी शामिल हैं
17. अधिकृत प्रदाताओं द्वारा विमान ईंधन भरने की सेवाओं के लिए सामान्य हाइड्रेंट अवसंरचना
18. एप्रन और विमान पार्किंग क्षेत्र
19. एप्रन नियंत्रण और विमान स्टैंड का आवंटन
20. आगमन कॉनकोर्स और बैठक क्षेत्र
21. सामान (बैगेज) प्रणालियां जिनमें आउटबाउंड और पुनरुद्धार (रिक्लेम) शामिल हैं
22. पक्षी भगाने की व्यवस्था
23. चेक-इन कॉनकोर्स
24. सार्वजनिक क्षेत्रों की सफाई, हीटिंग, लाइटिंग और वातानुकूलन
25. सीमा शुल्क (कस्टम्स) और आप्रवासन (इमिग्रेशन) हॉल
26. आपातकालीन सेवाएं
27. दिव्यांगों और अन्य विशेष आवश्यकता वाले लोगों के लिए सुविधाएं
28. अग्निशमन सेवा
29. उड़ान सूचना और सार्वजनिक संबोधन प्रणालियां
30. गंदे पानी और सतह जल की निकासी
31. मार्गदर्शन प्रणालियां और मार्शलिंग

32. सूचना डेस्क
33. अंतर-टर्मिनल पारगमन (ट्रांजिट) प्रणालियां
34. लिफ्ट, चलती सीढ़ियां और यात्री संवाहक
35. लोडिंग ब्रिज (यात्री चढ़ाई पुल)
36. खोया-पाया सामान
37. यात्री और हाथ के सामान की तलाशी
38. पियर और प्रवेश द्वार कक्ष
39. पुलिस व्यवस्था और सामान्य सुरक्षा
40. प्रार्थना कक्ष
41. डाकघर के लिए बुनियादी ढांचा / सुविधाएं
42. सार्वजनिक टेलीफोन के लिए बुनियादी ढांचा / सुविधाएं
43. बैंकों के लिए बुनियादी ढांचा / सुविधाएं
44. मुद्रा विनिमय केंद्रों के लिए बुनियादी ढांचा / सुविधाएं
45. हवाईपट्टी (रनवे)
46. संकेत बोर्ड
47. कर्मचारियों की तलाशी
48. टैक्सीवे (विमान मार्ग)
49. शौचालय और स्नान कराने वाली माताओं के कक्ष
50. अपशिष्ट और कचरा शोधन तथा निपटान
51. कैरी-ऑन और चेक-इन बैगेज के लिए एक्स-रे सेवा
52. अति विशिष्ट व्यक्ति (वीआईपी) / विशेष लाउंज

अनुसूची 2

दिनांक 13 अप्रैल, 2004 को मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय सुविधा समिति की पहली बैठक के कार्यवृत्त का सार

अजय प्रसाद

सचिव
भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाई अड्डा
नई दिल्ली -110003
फ़ोन : 24610358 फ़ैक्स : 24602397
डी .सं .ओ. AV.24011/04/04-AAI
26 अप्रैल, 2006

प्रिय श्री रंगनाथन,

आपको शायद जानकारी होगी कि मुंबई और दिल्ली हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण और पुनर्गठन के लिए संयुक्त उद्यम (JV) कंपनियां गठित कर दी गई हैं। दिनांक 4 अप्रैल, 2006 को दिल्ली हवाई अड्डे के लिए जीएमआर-कंसोर्टियम के साथ संचालन, रखरखाव, विकास समझौता (OMDA) हस्ताक्षरित किया गया था। ओएमडीए के प्रावधानों के तहत संयुक्त उद्यम कंपनी को दिल्ली हवाई अड्डा सौंपने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में से एक राज्य सरकार सहायता समझौता (State Government Support Agreement) है,

जिस पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं। नागर विमानन मंत्रालय के ध्यान में यह बात लाई गई थी कि दिल्ली में ऐसी कई एजेंसियां हैं जो सीधे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्य सचिव के अधीन काम नहीं करती हैं। वास्तव में, जिन विभिन्न एजेंसियों को राज्य सरकार सहायता समझौते के अंतर्गत शामिल करने की आवश्यकता है, वे हैं – दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली पुलिस, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली छावनी बोर्ड, शहरी विकास मंत्रालय (भारत सरकार), दिल्ली नगर निगम, बीएसईएस। इस मुद्दे पर दिनांक 3 अप्रैल, 2006 को कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय सुविधा समिति की बैठक में चर्चा की गई थी। कार्यवृत्त का प्रासंगिक अंश **अनुलग्नक-I** पर संलग्न है। राष्ट्रीय सुविधा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सभी संबंधित एजेंसियों की ओर से राज्य सहायता समझौते पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्य सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए जा सकते हैं।

2. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उसी तर्ज पर एक समन्वय समिति भी गठित की जा सकती है जैसा कि महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मुंबई हवाई अड्डा जेवीसी के लिए गठित की गई है। राष्ट्रीय सुविधा समिति ने दिल्ली के उपराज्यपाल की अध्यक्षता में एक अतिव्यापी समिति का भी सुझाव दिया। मैं इन दोनों समितियों के गठन के संबंध में आपके विचारार्थ शीघ्र ही मसौदा आदेश भेजूंगा।

3. चूंकि जेवीसी और एएआई द्वारा दिल्ली हवाईअड्डे का संयुक्त प्रबंधन दिनांक 30 अप्रैल, 2006 तक शुरू किया जाना है, इसलिए यह आवश्यक है कि सभी संबंधितों की ओर से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के राज्य सरकार सहायता समझौते पर तुरंत हस्ताक्षर किए जाएं। राज्य सहायता समझौते के मसौदे (ड्राफ्ट) की एक प्रति भी संलग्न है। क्या मैं आपसे अनुरोध कर सकता हूं कि कृपया यह सुनिश्चित करें कि यह कार्य पूरा किया जाए?

सादर,

भवदीय,

(अजय प्रसाद)

श्री एस. रघुनाथन

मुख्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

आई.पी. एस्टेट

नई दिल्ली - 110002

संलग्नक: यथोपरि।

दिनांक 13.04.2006 को मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय सुविधा समिति की पहली बैठक के कार्यवृत्त का प्रासंगिक अंश

"कार्यवाही रिपोर्ट पर चर्चा के बाद निम्नलिखित अन्य विषयों पर चर्चा की गई:

(क) सचिव (नागर विमानन) ने बताया कि मुंबई और दिल्ली हवाईअड्डों की जेवीसी के लिए संचालन, रखरखाव, विकास समझौता (OMDA) हस्ताक्षरित किया जा चुका है। विस्तृत कागजी कार्रवाई प्रगति पर है और दिनांक 10 मई, 2006 तक इन दोनों हवाईअड्डों को नई जेवी कंपनियों को सौंपने का प्रस्ताव है। उन्होंने बताया कि हवाईअड्डे को सौंपने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में से एक राज्य सरकार सहायता समझौता महाराष्ट्र के मामले में, शामिल सभी एजेंसियां वास्तव में महाराष्ट्र राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करती हैं। इसलिए, सभी संबंधित एजेंसियों अर्थात् पानी, पुलिस, बिजली आदि के लिए राज्य सरकार सहायता समझौते पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। तथापि, दिल्ली में कई प्रकार की एजेंसियां हैं जो सीधे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्य सचिव के अधीन कार्य नहीं करती हैं। सचिव (नागर विमानन) ने बताया कि इस राज्य सहायता समझौते में अग्निशमन, कानून और व्यवस्था, पुलिस, बिजली, पानी जैसे विभिन्न मुद्दों को शामिल करने की आवश्यकता है और रियायतग्राही को भटकना न पड़े उनके सहयोग के लिए विभिन्न एजेंसियों के चक्कर न लगाने पड़ें। विस्तृत चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि राज्य सहायता समझौते पर सभी एजेंसियों की ओर से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्य सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। राज्य सहायता समझौते के अंतर्गत शामिल एजेंसियां होंगी – दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली पुलिस, डीडीए, दिल्ली छावनी बोर्ड, शहरी विकास मंत्रालय, दिल्ली नगर निगम, बीएसईएस आदि। महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित समिति के समान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्य सचिव के अधीन एक समिति होनी चाहिए। दिल्ली के उपराज्यपाल की अध्यक्षता में एक अतिव्यापी समिति (over-arching committee) भी होनी चाहिए। नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) दिल्ली के उपराज्यपाल से ऐसी समिति की अध्यक्षता करने का अनुरोध करेगा।"